WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08032024-252765
CG-DL-E-08032024-252765

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 150]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 7, 2024/फाल्गुन 17, 1945
No. 150]	NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 7, 2024/PHALGUNA 17, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2024

सा.का.नि. 162(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय में ज्येष्ठ निजी सचिव के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात–:

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेश व्यापार महानिदेशालय (ज्येष्ठ निजी सचिव) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर : पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति––

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवष्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेष द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन अथवा अचयन पद**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ज्येष्ठ निजी सचिव	* 4 (2023) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, अनुसचिवीय राजपत्रित समूह 'ख'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–8 (47600–151100 रु.)	चयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दषा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा
11
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 में के ऐसे निजी सचिव जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा हो; जिसके न हो सकने पर, वेतन मैट्रिक्स में स्तर –7 में के ऐसे निजी सचिव जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर–7 में निजी सचिव

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर–7 में निजी सचिव और स्तर–6 में आशुलिपिक श्रेणी 1 में छह वर्ष की नियमित संयुक्त सेवा की हो।

प्रतिनियुक्तिः

केन्द्रीय के ऐसे अधिकारी ––

(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हों; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में उस पद या समतुल्य पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् निजी सचिव की श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हों; और

टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धरित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगें।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
12	13
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :– 1. विदेश व्यापार अतिरिक्त महानिदेशक, (प्रशासन)–अध्यक्ष; 2. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन) वाणिज्य विभाग–सदस्य 3. विदेश व्यापार संयुक्त महानिदेशक, (प्रशासन) विदेश व्यापार महानिदेशालय कार्यालय–सदस्य; 4. विदेश व्यापार उप महानिदेशक, विदेश व्यापार महानिदेशालय कार्यालय – सदस्य; 5. विदेश व्यापार उप महानिदेशक (प्रषासन), विदेश व्यापार महानिदेशालय कार्यालय– सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए–12018/1/2022/एचआरडी–II]

सुभाष चन्द्र अग्रवाल, विदेश व्यापार अतिरिक्त महानिदेशक

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Directorate General of Foreign Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2024

G.S.R. 162(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Private Secretary in the Directorate General of Foreign Trade, Ministry of Commerce and Industry, namely:-

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Directorate General of Foreign Trade (Senior Private Secretary) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.**—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to Relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	Number of Post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Private Secretary.	*4(2023). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Ministerial, Gazetted, Group 'B'.	Level – 8. (Rs. 47600-151100) in the pay matrix.	Selection post.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of Probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Private Secretary in level – 7 in the pay matrix with two years regular service in the	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

grade ; failing which Private Secretary in level -7 in the pay matrix with six years combined regular service in the grades of Private Secretary level -7 and Stenographer Grade I level – 6 in the pay matrix. **Deputation:** Officers of the Central Government: (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years service in the Private Secretary grade rendered after appointment thereto on a regular basis or equivalent in the parent cadre or department. Note 1 :- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2 :-** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3 :-** The maximum age limit for appointment by deputation shall be 'Not exceeding fifty - six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 4 :-** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation, similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	1. Additional Director General of Foreign Trade (Administration) - Chairman; 2. Director or Deputy Secretary (Administration), Department of Commerce - Member; 3. Joint Director General of Foreign Trade (Administration) Office of Directorate General of Foreign Trade – Member; 4. Deputy Director General of Foreign Trade, Office of Directorate General of Foreign Trade – Member; 5. Deputy Director General of Foreign Trade (Administration), Office of Directorate General of Foreign Trade – Member.	

[F. No. A-12018/1/2022/HRD-II]

SUBHASH CHANDRA AGARWAL, Addl. Dir. Gen.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.